



F-07-08
F-07-11

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION
IS/ISO: 9001:2008

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF DEFENCE

मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु - 560 037
MARATHAHALLI COLONY P.O
BENGALURU -560 037

वर्ग अनुमोदन सं. : 1259 का संशोधन सहीत नवीकरण
Amendment cum Renewal of Type Approval No.: 1259

विषय / Sub : ग्रीस (सर्वोजेम एक्सजी - 284)/
GREASE (SERVOGEM XG - 284)

यह घोषित किया जाता है कि यह प्रमाणित किया जाता है की मेसर्स इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड, अनुसंधान और विकास केंद्र, सेक्टर 13, फरीदाबाद - 121 007 द्वारा विकसित और मेसर्स इंडियन ऑयल ब्लेंडिंग लिमिटेड, ग्रीस प्लांट, वाशी, प्लॉट सं. डी-100, टीटीसी इंडस्ट्रियल एरिया, कुक्षेत विलेज, वाशी, नवी मुंबई- 400 705 द्वारा उत्पादित "ग्रीस (सर्वोजेम एक्सजी- 284)", को संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1259, दिनांक 06 मार्च 2007, द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 1259 जारी किया गया था। तदुपरांत संदर्भ सं. रोमिलैक/टीए-1259-1आर, दिनांक 31 जुलाई 2012 द्वारा नवीकरण किया गया जिसकी वैधता 30 जून 2017 तक था।

This is to state that the "Grease (SERVOGEM XG - 284)", developed by M/s Indian Oil Corporation Limited, Research & Development Centre, Sector -13, Faridabad-121 007 and manufactured by M/s Indian Oil Blending Limited, Grease Plant, Vashi, Plot No. D - 100, TTC Industrial Area, Kukshet Village, Navi Mumbai - 400 705, was issued with Type Approval No.: 1259 vide Reference No.: CEMILAC/5070/TA-1259, dated: 06th March 2007. Subsequently renewed vide Reference No.: CEMILAC/TA -1259 -1R , dated: 31st July 2012, with its validity up to 30th June 2017.

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 जनवरी 2018 से संतोषजनक निष्पादन प्रतिपुष्टि के आधार पर किया जाता है तथा 31 दिसंबर 2022 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन (03) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए (हेलिकॉप्टर्स), द्वारा एचएएल, हेलिकॉप्टर प्रभाग, बेंगलूरु - 560 017, से अनुरोध करना होगा।

This is to certify that the Type Approval is hereby renewed w.e.f. 01st December 2018 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 30th November 2022 unless otherwise suspended, cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Helicopter), C/o M/s Hindustan Aeronautics Limited, Helicopter Division, Bengaluru-560 017 three (03) months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause.

3. संदर्भ सं.: सेमिलैक/5070/टीए - 1259, दिनांक 06 मार्च 2007 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के अनुच्छेद पांच (05) में निम्नलिखित संशोधन लागू है।

The Para five (05) of original Type Approval Certificate vide Reference No.: CEMILAC/5070/TA-1259, dated: 06th March 2007 is amended as stated herewith.

“[अगर इस टाइप रिकॉर्ड के एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूर - 560 037 की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।”]

“[Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru - 560 037, is to be obtained to adopt any changes in the SOP and in the declared performance indicated in the Type Record. The Type Approval is not at all transferable to any other agency]”.

4. प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन पत्र/प्रमाणपत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी और पूर्णतः लागू होंगी।

All other conditions stipulated in the initial type approval letter/certificate remain unaltered, and fully applicable.

सं./No.: सेमिलैक/CEMILAC/5070 /टी.ए/TA-1259/2R

दिनांक / Date : 05 January 2018

फैक्स सं / .Fax No.: 080-25230856

K. J. H.



(पी. जयपाल / P. JAYAPAL)

मुख्य कार्यपालक (उड़नयोग्यता) /
Chief Executive (Airworthiness)